

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल

क्रमांक / 536 / 2129 / 2020 / नियम / चार भोपाल, दिनांक फरवरी 2021
प्रति, 17 मत्त

सचिव,
कर्मचारी आयोग
31 गोमन्तिका परिसर,
जवाहर चौक भोपाल

विषय :- कर्मचारी आयोग को स्थाई अग्रिम स्वीकृत करने बाबत।
संदर्भ :- आपका पत्र क्र.453/लेखा/13/कर्म.आ/2020, दिनांक 22-12-2020
...0...

राज्य शासन म0प्र0वित्त संहिता भाग-1 के नियम 102 तथा वित्त अधिकारों की पुस्तिका भाग-2 के सरल क्रमांक 2.14 अनुसार कर्मचारी आयोग को रूपये 20000/- (बीस हजार मात्र) स्थाई अग्रिम स्वीकृत करता है। इस राशि का आहरण एम0पी0टी0सी0 76 पर नियमानुसार किया जावे। उक्त व्यय मुख्य शीर्ष 8672 से विकलनीय होगा।

म.प्र.के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
(अखिल कुमार वर्मा)
उप सचिव

म0प्र0शासन, वित्त विभाग
दिनांक फरवरी 2021
मत्त

पृष्ठा क्रमांक / 2129 / 2020 / नियम / चार भोपाल, दिनांक फरवरी 2021
प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
 2. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय भोपाल
 3. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय भोपाल
 4. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
 5. आयुक्त, कोष एवं लेखा संचालनालय भोपाल
 6. सचिव, कर्मचारी आयोग, 31 गोमन्तिका परिसर जवाहर चौक भोपाल
 7. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघो
 8. गार्ड फाईल
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित।

(विवेक धारू)
अवर सचिव

म0प्र0शासन, वित्त विभाग